संख्या- 68/2022/2396/001-54-2002-002-4-2022

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 30 सितम्बर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0133- समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तारीय स्टाफ की व्यवस्था हेतु वेतन का भुगतान'' में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय त्रैमास हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या सी-519/0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 10 अगस्त, 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि आंगनवाड़ी सेवाएं योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-60/2022/2134/003-54-2002-002-3-2022, दिनॉक 05.08.2022 द्वारा अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0133-समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था हेतु वेतन का भुगतान (वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ता एवं मकान किराया भत्ता)'' में कुल प्रावधानित धनराशि रू0 1347.92 लाख के सापेक्ष 177.25 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0133-समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तयरीय स्टाफ की व्यवस्था हेतु वेतन का भुगतान (वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ता एवं मकान किराया भत्ता)'' में कुल प्रावधानित धनराशि रू0 1347.92 लाख के सापेक्ष रु0 177.25 लाख (रुपया एक करोड़ सतहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्न लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों2 के अधीन राज्ययपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/ प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तयरदायी होंगे।

(4) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(7) स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(8) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(10) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 एवं शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष 2235021020133 (समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था हेतु वेतन का भुगतान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020133 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था हेतु वेतन का भुगतान	01 वेतन	1,12,62,000 (रुपये एक करोड़ बारह लाख बासठ हजार मात्र)
2	049	2235021020133 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था हेतु वेतन का भुगतान	03 मंहगाई भत्ता	47,93000 (रुपये सैंतालीस लाख तिरानबे हजार मात्र)
3	049	2235021020133 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था हेतु वेतन का भुगतान	06 अन्य भत्ते	80,000 (रुपये अस्सी हजार मात्र)
4	049	2235021020133 समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था हेतु वेतन का भुगतान	55 मकान किराया	15,90,000 (रुपये पन्द्रह लाख नब्बे हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

			भत्ता	
	कुल			**1,77,25,000** **(रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र)**
महायोग				**1,77,25,000** **(रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-208 -X-2022-23, दिनांक- 30 सितम्बंर, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-68/2022/ 2396(1)/001-54-2002-002-4-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. मुख्य, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त, (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त, संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।